पत्र सं०–6 एस०एस०(6)35 / 2019–3429/

# बिहार सरकार
## डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से प्रत्यर्पित

द्वारा :– * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक– 06 / 7 / 2026.

**विषय–– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 की स्वीकृत एवं कार्यान्वित बायोफ्लॉक तकनीकी से मत्स्य उत्पादन की योजना को पूर्ण करने हेतु रुपये 1.89565 लाख (रुपये एक लाख नवासी हजार पाँच सौ पैंसठ) मात्र की लागत पर देयता की योजना एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में में राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 की स्वीकृत एवं कार्यान्वित बायोफ्लॉक तकनीकी से मत्स्य उत्पादन की योजना को पूर्ण करने हेतु रुपये 1.89565 लाख (रुपये एक लाख नवासी हजार पाँच सौ पैंसठ) मात्र की लागत पर देयता की योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न।

2. राज्य सरकार द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या–6 एस०एस०(6)35 / 2019–328, दिनांक– 03.02.2020 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत बायोफ्लॉक तकनीकी से मत्स्य उत्पादन की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन किया गया।

3. उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत योजनान्तर्गत औरंगाबाद जिला को नीजी क्षेत्र के –

(i) अनुसूचित जाति, एवं अतिपिछडी जाति के लाभूको के लिए (एक यूनिट में 5 टैंक) 75 प्रतिशत अनुदान पर क्रमशः 1 बायोफ्लॉक युनिट एवं 2 युनिट बायोफ्लॉक.

(ii) सामान्य वर्ग के लाभूको के लिए (एक यूनिट में 5 टैंक) 50 प्रतिशत अनुदान पर 2 बायोफ्लॉक युनिट तथा

(iii) सामान्य वर्ग के लाभूक के लिए (एक यूनिट में 10 टैंक) 50 प्रतिशत अनुदान पर 1 बायोफ्लॉक युनिट अधिष्ठापन करने का लक्ष्य आवंटित की गई।

Typed by Sanjay Kumar

4. जिला मत्स्य पदाधिकारी--सह--मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय पत्रांक--432, दिनांक--25.05.2026 के अनुसार उक्त जिला को आवंटित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध शत--प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया होने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति (एक यूनिट में 5 टैंक), अतिपिछड़ी जाति (एक यूनिट में 5 टैंक), सामान्य वर्ग (एक यूनिट में 5 टैंक) एवं सामान्य वर्ग (एक यूनिट में 10 टैंक) के लाभूकों में से एक अतिपिछड़ी जाति (एक यूनिट में 5 टैंक) के लाभुक को छोड़ कर शेष सभी लाभुकों को शत प्रतिशत देय अनुदान राशि का भुगतान किया गया।

5. परन्तु योजनान्तर्गत एक अतिपिछड़ी जाति (एक यूनिट में 5 टैंक) के लाभुक को देय कुल ₹ 6.375 लाख अनुदान राशि में से ₹ 4.47935 लाख (₹ 2.96250 लाख + ₹ 1.51685 लाख) का भुगतान किया गया तथा शेष ₹ 1.89565 लाख राशि कोषागार से का आहरण नहीं होने के फलस्वरूप लाभार्थी को उक्त शेष राशि का भुगतान नहीं हो पाया है।

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत स्वीकृत योजना में निहित शर्त एवं प्रावधान के आलोक में नियमानुसार योजनान्तर्गत एक अतिपिछड़ी जाति (एक यूनिट में 5 टैंक) के लाभुक को देय शेष ₹ 1.89565 लाख अनुदान की राशि को कोषागार से आहरित कर भुगतान/व्यय करने की योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

7. इस योजना के तहत अतिपिछड़ी जातिं के लाभुक के लिए व्यय हेतु स्वीकृत अनुदान राशि का विकलन माँग संख्या--02, मुख्य शीर्ष--2405 --मछली पालन उप मुख्य शीर्ष--00 --लघु शीर्ष--101 --अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष--0104 --तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02--2405001010104 के तहत विषय शीर्ष--0104.33.01 --सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

8. प्रस्तावित इस देयता (Liability) योजना का क्रियान्वयन तत्समय निर्गत राज्यादेश में निहित शर्त एवं प्रावधान के तहत की जाएगी।

9. योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक--I के रूप में संलग्न है।

10. इस योजना के तहत् निदेशक मत्स्य/जिला मत्स्य पदाधिकारी (औरंगाबाद) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

11. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के विरूद्ध लंबित अनुदान का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करेंगे। लंबित योजना को पूर्ण करने हेतु वर्तमान व्यय की स्वीकृति अंतिम सहायता है। इसके पश्चात् अनुदान राशि की भुगतान नहीं होने पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होंगी।

12. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना होंगे।

 Typed by Sanjay Kumar

13. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

14. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. चुकि यह चालू योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)35/2019 के पृष्ठ–54/टि० एवं दिनांक–18.06.2026.

16. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक, मत्स्य विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की अनुमति से दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

17. विभागीय संकल्प–1464, दिनांक–29.05.2019 का अनुपालन निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

18. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)35/2019 के पृष्ठ संख्या–53/टि० डायरी क्रमांक–389, दिनांक–15.06.2026.

19. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)35/2019–3429 /पटना–15, दिनांक–06/7/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)35/2019–3429 /पटना–15, दिनांक–06/7/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)35 / 2019–3429 / पटना–15, दिनांक– 06 / 7 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना / सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक / सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (औरंगाबाद) / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)35 / 2019–3429 / पटना–15, दिनांक– 06 / 7 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)35 / 2019–3429 / पटना–15, दिनांक– 06 / 7 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)35 / 2019–3429 / पटना–15, दिनांक– 06 / 7 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक काईवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

## अनुलग्नक–I

चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 की स्वीकृत एवं कार्यान्वित बायोफ्लॉक तकनीकी से मत्स्य उत्पादन की योजना को पूर्ण करने हेतु मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104 के तहत विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीयों की विवरणी।

(राशि लाख में)

| क्र० | अवयव का नाम | विषय शीर्ष | व्यय हेतु स्वीकृत राशि | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम | कोषागार का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| निजी क्षेत्र में इनपुट सहित बायोफ्लॉक युनिट (एक यूनिट में 5 टैंक) का अधिष्ठापन | | | | | |
| 1 | 75 प्रतिशत अनुदान पर अति पिछड़ा वर्ग के लाभूक हेतु इनपुट सहित बायोफ्लॉक युनिट (एक यूनिट में 5 टैंक) का अधिष्ठापन (सं०) | 0104.33.01 –सब्सिडी | ₹ 1.89565 | निदेशक मत्स्य / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (औरंगाबाद)। | कोषागार (औरंगाबाद) |
| | | **योग :–** | **₹ 1.89565** | | |

कुल (एक लाख नवासी हजार पाँच सौ पैंसठ रुपये) मात्र।

3429
06/7/26

सरकार के संयुक्त सचिव

1 Typed by Sanjay Kumar